संख्या– /XVIII-(2)/18-4(14)/2015

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 18 जुलाई, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य आपदा मोचन निधि से, अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान तथा प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत कार्यों एवं खोज एवं बचाव उपकरणों के क्रय हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 48/तेरह–6/2017–18 दिनांक 05 जुलाई, 2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य आपदा मोचन निधि के नवीनतम मानकों के अंतर्गत अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान एवं प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत आदि कार्यों एवं खोज एवं बचाव उपकरणों के क्रय हेतु ₹ 5.00 करोड़ (₹ पांच करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– स्वीकृत की जा रही धनराशि आवश्यकता के आधार पर सर्वप्रथम अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मदों में व्यय की जायेगी।

2– भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से हुई क्षति में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से व्यय हेतु संशोधित दिशा–निर्देश दिनांक 08.04.2015 में भारत सरकार द्वारा विभागवार तात्कालिक प्रकृति के कार्य स्पष्ट किये गये हैं तथा तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यों में मरम्मत हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। अतः प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यों यथा मार्गों एवं पुलों, पेयजल आपूर्ति से सम्बन्धित अवसंरचनायें (हैण्ड पम्प, कुंए, टैंक, क्षतिग्रस्त पाइप लाइन इत्यादि), विद्युत (केवल ऐसे क्षेत्रों जहां तात्कालिक रूप से विद्युत व्यवस्था की जानी होगी), प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु धनराशि व्यय की जायेगी तथा निर्धारित अवधि में ही मरम्मत कार्य पूर्ण किये जायेंगे। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा प्रतिवादन के लिए आवश्यक खोज एवं बचाव उपकरण, जिसमें संचार उपकरण भी सम्मिलित हैं, का क्रय राज्य कार्यकारिणी समिति के आकलन के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि के कुल वार्षिक आवंटन के 10 प्रतिशत तक तथा क्षमता विकास कार्यक्रम पर कुल वार्षिक आवंटन के 5 प्रतिशत तक व्यय किये जाने के निर्देश हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– आहरण व व्यय केवल उन मरम्मत एवं पुनर्स्थापन कार्यों के लिए किया जायेगा, जो एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. के दिशा–निर्देशों में अनुमन्य हैं एवं जिनके लिए राज्य स्तरीय समिति से विधिवत्/पूर्व आवश्यकता का आंकलन करा लिया गया हो और व्यय आंकलन के अनुसार ही किया जायेगा।

4— मरम्मत कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की जायेगी—

1. आगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
3. कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये है वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं। स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।
4. कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना नियमानुसार प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय। जिन आगणनों में [illegible] लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय तथा इसका सत्यापन अधिशासी अभियन्ता स्वयं करें।
5. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का व्यय दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी एवं निर्माण इकाई का होगा।
6. स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा, कि उक्त कार्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त है तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। स्वीकृत धनराशि नव निर्माण कार्यों में कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जाये।

5— वास्तविक क्षति के कार्यों पर ही धनराशि स्वीकृत की जायेगी। सामान्य मरम्मत के कार्य प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं आते है। अतः सामान्य मरम्मत के कार्यों, नव निर्माण तथा विकास कार्य में धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

6— प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में पाये जाने वाले धनराशि के दुरुपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ0आई0 आर0 (F.I.R.) की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

7— क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों एवं हल्का वाहन मार्गों के प्रस्तावों पर वास्तविक क्षति के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी। प्रस्तावित मार्ग की कुल लम्बाई एवं क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई अनुसार लो०नि०वि० द्वारा प्रति कि०मी० सड़क निर्माण हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु मूल आगणन के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

8— प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के जिला पंचायत, विकास खण्ड एवं स्थानीय निकाय आदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्राप्त आगणनों, जहां अधिशासी अभियन्ता स्तर के अभियन्ता न हों, वहां लो०नि०वि० के अधिशासी अभियन्ता से प्रमाणित/सत्यापित कर, दरें प्रतिहस्ताक्षरित करायी जाए।

9— प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के संबंध में यह जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के व्यय हेतु निर्धारित नवीन मद एवं मानकों से आच्छादित होने एवं निर्धारित समयावधि के अन्दर क्षति होने की पुष्टि तथा प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सुस्पष्ट संस्तुति के बाद ही कार्य योजना सक्षम स्तर से स्वीकृत की जायेगी।

10— कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित जिलाधिकारी/निर्माण एजेन्सी/संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11— कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे और लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टेण्डर आदि विषयक नियमों का अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

12— कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्य/परिसम्पत्तियों की फोटो ली जायेगी। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का प्रमाणीकरण जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। तदनुसार ही कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर राज्य आपदा मोचन निधि से निर्मित कार्य/योजना का नाम, लागत, दिनांक तथा मद का नाम सीमेन्ट कंक्रीट/बोर्ड पर अंकित कर दिया जाए।

13— स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

14— स्वीकृत की जा रही धनराशि प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम आनुतोषिक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मदों में व्यय की जायेगी। तत्पश्चात सहायता, गृह अनुदान मदों में व्यय की जायेगी।

15— आहरण व व्यय मात्र उन मदों एवं पुनर्स्थापना कार्यों के लिए किया जायेगा, जो एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. के दिशा निर्देशों में अनुमन्य है।

16— स्वीकृत धनराशि का वितरण नियमानुसार कराया जायेगा, जिससे प्रभावितों को शीघ्रातिशीघ्र राहत राशि का वितरण सुनिश्चित हो सके।

17— स्वीकृत धनराशि का उपयोग इन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

18— प्रभावितों की सम्यक पहचान एवं पुष्टि के बाद ही स्वीकृत राहत सहायता का वितरण किया जायेगा। राहत सहायता वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं दोहराव की स्थिति पाये जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

19— स्वीकृत धनराशि उक्त मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

20— व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

21— शासनादेश संख्या–1763, दिनांक 03 जुलाई, 2018 के द्वारा लोक निर्माण विभाग को राज्य आपदा मोचन निधि से अवमुक्त धनराशि ₹ 16.00 करोड़ का भी संज्ञान लिया जायेगा।

22— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05–राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–101 आरक्षित निधियों एवं जमा लेखाओं में अन्तरण एस.डी.आर.एफ.–02–आपदा मोचन निधि से व्यय–42–अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

23— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–02/मतदेय/वित्त अनु0–5/2018, दिनांक 17 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–4787(1)/XVIII-(2)/18-4(14)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ देहरादून।
2— अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3— आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5— अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6— वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
7— निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8— निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ला)
अनु सचिव